न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या 195/2015

1. लखविन्द्रसिंह पुत्र श्री हरनेकसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हरनेकसिंह पुत्र श्री हजारासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — वादीगण

—:: बनाम ::—

1. सुखविन्द्रसिंह पुत्र श्री हरनेकसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. परमजीतकौर पत्नी श्री सुखविन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरमीतकौर पत्नी हरनेकसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. मस्जिद मिर्जेवाला जरिये व्यवस्थापक मस्जिद मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट आफ राजस्थान — जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री विरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री जीतपाल सिंह सैनी अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 4.11.16

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनें माता पिता के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :—

तहसील श्रीगंगानगर के चक 10 एफ. बड़ा के खाता संख्या 69/66 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 1 ता 25 और मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1 ता 25 मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10, 14 और मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 7, 14, 15, की कृषि भूमि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी है।

वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 पिता पुत्र है, तथा प्रतिवादी संख्या 2 परमजीत कौर हरनेकसिंह की पुत्रवधू है तथा प्रतिवादी संख्या 3 हरनेकसिंह की पत्नी है इस प्रकार से वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है और उनकी कृषि भूमि जो राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है, उसे आपस में अपनी सुविधा के अनुसार बांट कर अच्छी मन्दी के अनुसार अपनी—अपनी कृषि भूमि काश्त कर रहे है। और अपनें हिस्सा के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

AS/2

1. लखविन्द्रसिंह का हिस्सा :– चक 10 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1, 2, 9, ता 12, 19 ता 22 कुल 10.00 बीघा।
2. हरनेकसिंह का हिस्सा :– चक 10 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1 ता 10, 13 के 10 बिस्वा, 14, 15 और मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23 कुल 17.10 बीघा।
3. सुखविन्द्रसिंह का हिस्सा :– चक 10 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 11, 12, 13 का 10 बिस्वा, 16 ता 25 और मुरब्बा नम्बर 18 के किला नबर 1, 2, 3 व 10 कुल 16.10 बीघा।
4. परमजीतकौर का हिस्सा :– चक 10 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 4, 7, 8, 9, एवम् 14 कुल 5.00 बीघा।
5. गुरमीत कौर का हिस्सा :– चक 10 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 व 24, 25 कुल 10 बीघा।
6. मस्जिद मिर्जेवाला के पास इस खाता की मुरब्बा नम्बर 51 के किलानम्बर 4, 7, 14, 15 कुल 4.00 बीघा बारानी भूमि है।

वादीगण नें कई बार उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण को खाता तकसीम करवाने का तकाजा किया तो दो दिन पूर्व ऐसा करनें से इनकार हो गये है। अतः सुचारू रूप से अपनें कृषि कार्य एवम् लगान आदि अदा करनें के लिये खाते का विभाजन आवश्यक है इसलिये उपरोक्तानुसार खाता विभाजन किया जाना कानूनन इंसाफ जरूरी है। अतः वादीगण पेश कर निवेदन है, कि वाद निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) पैरा संख्या 4 में वर्णित अनुसार खाता वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के बीच तकसीम किया जावे।

(ख) इसी अनुरूप अपनें हिस्सा के अनुसार लगान राजस्व कायम किया जावे।

(ग) अन्य कोई आज्ञा जो वादीगण के हित में हो प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.06.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा इकबाल जबाबदावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत वाद वादी स्वीकार करते हुए कथन किया कि दावा वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित अनुसार डिक्री किया जावे तो हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 4 की और से गुलाम रसूल दिनांक 14.06.2016 को न्याय आपके द्वारा अभियान के दौरान राजस्व लोक अदालम में उपस्थित आये तदोपरान्त उपस्थित नहीं आनें तथा कोई जबाब आदि पेश नहीं करनें के कारण दिनांक 05.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 06.09.2016 को स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत हुआ जिसमें कथन किया कि राज्य हितों को मध्यनजर रखते हुए निर्णय किया जाना उचित है।

पत्रावली में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात बनाई गई कि वादीगण वाद पत्र की पैरा संख्या 4 में दर्ज बंटवारें के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग दर्ज करवानें के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा उक्त तनकियात के आधार पर साक्ष्य पेश किय गये जिस पर दौरानें जिरह कथन किया गया कि बंटवारें के अनुसार समस्त सह काश्तकार काबिज है। यह सही है, कि मस्जिद मिर्जेवाला के पास मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 7, 14, 15 की कुल 4.00 बीघा भूमि है।

दिनांक 18.10.2016 को उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र के अनुसार ही विभाजन किया जाकर अनुतोष प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

लगातार 3

हमने वादी विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की और से प्रस्तुत जबाब इकबालदावा पर मनन किये जानें के उपरान्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 33 के अन्तर्गत वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 :– लखविन्द्रसिंह पुत्र श्री हरनेकसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर का 2.480 हैक्टर रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
10 एफ बड़ा	14	1 / .253, 2 / .253, 9 / 253, 10 / .253, 11 / .253, 12 / 253, 19 / .253, 20 / .253, 21 / .228, 22 / .228	2.480 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 :– हरनेकसिंह पुत्र श्री हजारासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर का 4.352 हैक्टर रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
10 एफ बड़ा	14	3 / .253, 8 / .253, 13 / 253, 18 / 253, 23 / .228	1.240
	15	1 / .228, 2 / .253, 3 / .253, 4 / 253, 5 / .253, 6 / .253, 7 / 253, 8 / .253 9 / .253, 10 / .228, 13 / 126, 14 / 253, 15 / .253,	3.112
			कुल भूमि :– 4.352 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 1 :– सुखविन्द्रसिंह पुत्र श्री हरनेकसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर का 4.100 हैक्टर रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
10 एफ बड़ा	15	11 / .228, 12 / .253, 13 / .127, 16 / .253, 17 / .253, 18 / .253, 19 / .253, 20 / .228, 21 / .228, 22 / .253, 23 / 253, 24 / .253, 25 / 253,	3.088
	18	1 / .253, 2 / .253, 3 / .253, 10 / 253,	1.012
			कुल भूमि :– 4.100 हैक्टर

4. प्रतिवादी संख्या 2 :– परमजीतकौर पत्नी श्री सुखविन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर का 1.265 हैक्टर रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
10 एफ बड़ा	18	4 / .253, 7 / .253, 8 / 253, 9 / .253, 14 / .253,	1.265 हैक्टर

5. प्रतिवादी संख्या 3 :– गुरमीतकौर पत्नी हरनेकसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर का 2.480 हैक्टर रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
10 एफ बड़ा	14	4 / .253, 5 / 253, 6 / .253, 7 / .253, 14 / .253, 15 / 253, 16 / .253, 17 / 253, 24 / .228, 25 / .228	2.480 हैक्टर

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

6. प्रतिवादी संख्या 4 :– मस्जिद मिर्जेवाला जरिये व्यवस्थापक मस्जिद मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का 1.012 हैक्टर रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
10 एफ बड़ा	51	4/.253, 7/.253, 14/.253, 15/.253,	1.012 हैक्टर

A3/4

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर वाओ अथवा प्रतिवादी द्वारा किसी बैक आदि से ऋण ले रखा हो तो समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान अलग–अलग कायम किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक ...11.11.16..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर